न्यायालयः— विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद,जिला भिण्ड (समक्षः पी०सी०आर्य)

बिशेष डकैती प्रकरण<u>कमांकः 62 / 2015</u> संस्थित दिनांक—21 / 04 / 2011 फाईलिंग नंबर—230303005642011

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— अभयोजन (म०प्र०) ————<u>अभियोजन</u>

वि रू द्ध

- इन्द्रा जाटव पुत्र रघुवीर जाटव, उम्र 42 निवासी ग्राम रनगवां
- 2. लखना उर्फ रामलखन गुर्जर पुत्र अमरसिंह, गुर्जर निवासी जिमलेदार का पुराउपस्थित आरोपीगण
- 3. भूपे उर्फ भूपेन्द्र सिंह गुर्जर, 27 साल
- 4. राजू उर्फ राजवीर सिंह गुर्जर,

.....<u>फरार आरोपीगण</u>

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक आरोपी इन्द्रा द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता आरोपी लखना उर्फ रामलखन गुर्जर द्वारा श्री एम.एल. मुदगल अधिवक्ता

—::— <u>निर्णय</u> —::— (आज दिनांक **10 दिसंबर 2016** को खुले न्यायालय में **घो**षित)

- 1. उपस्थित अभियुक्तगण इन्द्रा एवं लखना उर्फ रामलखन के विरूद्ध धारा 392 भा०द०वि० सहपठित धारा—11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट का आरोप है कि उन्होनें दि0—24/10/2010 के सुबह करीब 08:25 बजे ग्राम पिपरसाना के मध्य नहर के पास मौ ग्वालियर रोड थाना गोहद जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में अपने साथियों के साथ मिलकर फरियादी संतोष से उसकी मोटरसाइकिल, नगदी 700 रूपये तथा मोबाइल छीनकर लूट कारित की ।
- 2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक को घटनास्थल ग्राम पिपरसाना के मध्य नहर के पास मो ग्वालियर रोड थाना गोहद जिला भिण्ड राजस्व जिला भिण्ड में म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावी क्षेत्र अधिनियम 1981 प्रभावशील था यह भी स्वीकृत है कि सह अभियुक्त भूपे उर्फ भूपेन्द्र दिनांक 15/05/15 एवं राजू उर्फ राजवीर दिनांक 07/09/16 से फरार घोषित किए गए हैं।

2

- 4. उक्त आशय की संतोष यादव द्वारा थाना गोहद जाकर उक्त दिनांक को ही मौखिक रिपोर्ट की जिस पर से तीन अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध जिनकी उम्र 25 से 30 साल के मध्य, सामान्य कद—काठी के बताए गए, उनके विरुद्ध धारा—392 भा0द0वि0 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 220 / 10 कायम कर प्र0पी0—07 की एफ0आई0आर0 लेखबद्ध की गई और घटना को विवेचना में लिया गया, जिसमें फरियादी का उसके बताए अनुसार कथन लिया था, और प्र0पी0—08 का नक्शामौका तैयार किया, अनुसंधान के दौरान आरोपीगण के संदेही के रूप में पकडे जाने पर उनसे की गई पूछताछ के आधार पर हुई बरामदगी पर से शेष अनुसंधान पूर्ण कर घटना डकेती प्रभावित क्षेत्र की होने के आधार पर घारा—11,13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 का इजाफ करते हुए विचारण हेतु अभियोगपत्र सक्षम डकैती न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 5. अभियोगपत्र एवं सलग्न प्रपत्रों के आधार पर विचाराधीन अभियुक्तगण इन्द्रा एवं लखना उर्फ रामलखन के विरुद्ध धारा 392 भा०द०वि० सहपिठत धारा—11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट 1981 के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया । धारा 313 जा० फौ० के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में रंजिशन झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है। आरोपीगण ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया ।

6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :--

1— क्या आरोपीगण ने दिनांक 24/10/10 को सुबह करीब 8:25 बजे ग्राम चितौरा पिपरसाना के मध्य नहर के पास मौ रोड डकैती प्रभावित क्षेत्र में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फरियादी संतोष यादव से उसकी हीरोहोण्डा मोटरसाइकिल, मोबाइल और नगदी छीनकर लूट कारित की ?

<u>—::–निष्कर्ष के आधार —::</u>

परीक्षित साक्षियों में से प्रकरण के लिए सर्वाधिक महत्व 7. के साक्षी फरियादी संतोष यादव को अभियोजन की ओर से अ०सा०–०५ के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है, कि दिनांक 24 / 10 / 10 को सुबह वह करीब 08:30 बजे अपने ग्राम देहगांव से ग्वालियर अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-07-9740 से अकेला जा रहा था, तब रास्ते में पिपरसाना चितौरा के बीच नहर के पास जब वह पहुंचा तो तीन लोग मोटरसाइकिल लिए खडे थे, जिन्होंने उसे रोक लिया और उसे गाडी से उतारकर धक्का देकर उसकी मोटरसाइकिल को लूटकर भारा गए तथा उसका नोकिया कंपनी का मोबाईल और 700 / - रूपए नगद भी लूट कर ले गए, फिर एक मोटरसाइकिल वाले की मोटरसाइकिल पर बैठकर उसने बदमाशों की तलाश भिलाटी गांव तक की, लेकिन कोई पता नहीं चला, फिर उसने थाना गोहद आकर लूट की घटना की रिपोर्ट की जिस पर से प्र0पी0-07 की एफ0आई0आर0 लेखबद्ध की गई, पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर प्र0पी0–08 का नक्शामीका उसके सामने बनाया था और उसका बयान लिया था।

3

- इस प्रकार से घटना का फरियादी संतोष अ०सा०-05, प्र0पी0–07 की एफ0आई0आर0 में बताई लूट की घटना का तो समर्थन करता है, किंतु एफ0आई0आर0 में उसके द्वारा यह लेख कराया गया था, कि वह बदमाशों को और अपने सामान को अपने सामने आने पर पहचान सकता है, जिसका उसने समर्थन नहीं किया और पैरा–02 में यह कहा है, कि लूट करने वाले मुंह बांधे थे, इसलिए वह उन्हें नहीं पहचान सकता है, क्योंकि उनकी केवल आंखें खुली थीं और घटना को पांच साल हो गए है और घटना क्षणिक में हो गई थी, पैरा–03 में अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षा की भांति पूछे गए सूचक प्रश्नों में यह/तो स्वीकार किया है, कि घटना के बाद रास्ते में उसे कस्बा मौ के देवेन्द्र कुमार जैन मिले थे, जिन्होंने उसे यह भी बताया था, कि बदमाश उसकी मोटरसाइकिल नगदी और दवाईयां व रशीदे भी लूटकर ले गए है, और जिस मोटरसाइकिल पर बदमाश आए थे, वह बिना नंबर की काले रंग की पल्सर थी, देवेन्द्र जैन ने भी पल्सर मोटरसाइकिल अपनी बताते हुए उसकी लूट बदमाशों द्वारा करना बताया था, इस बात से उसने इन्कार किया है, कि उसने प्र0पी0-07 की एफ0आई0आर0 और प्र0पी0-08 के पुलिस कथन में लूट करने वाले बदमाशों को सामने आने पर पहचान लेने वाली बात लिखाई थी।
- 9. इस प्रकार से फरियादी संतोष यादव अ०सा०–०5 ने अपने अभिसाक्ष्य में उसके साथ लूट की घटना जिन लोगों ने की उन्हें पहचानने में असमर्थता व्यक्त की है, अभियोजन द्वारा संकलित की गई साक्ष्य में भी शिनाख्तगी की कोई कार्यवाही नहीं कराई गई

है, बिल्क अनुसंधान के दौरान आरोपीगण का पकडा जाना और उनके द्वारा पूछताछ करने पर धारा—27 साक्ष्य विधान के तहत दिए गए ज्ञापन और उनके आधार पर हुई बरामदगी पर से अभियोजित किया है, इसलिए यह देखना होगा कि क्या गिरफ्तारी, मेमोरेण्डम कथन और जब्ती के दस्तावेज अभियोजन द्वारा प्रमाणित किए गए है, और उनसे प्र0पी0—07 में बताई गई लूट की घटना कडी के रूप में जुडती है, अथवा नहीं।

- 10. प्रकरण में फरियादी संतोष यादव द्वारा जिस देवेन्द्र कुमार जैन निवासी मौ का घटना के बाद मिलना और उससे बातचीत करना तथा उसकी भी पल्सर मोटरसाइकिल की लूट होना बताया गया है, उसे साक्ष्य में पेश नहीं किया है, देवेन्द्र कुमार जैन के द्वारा कोई रिपोर्ट की गई या नहीं की गई, इस संबंध में भी न तो एफ0आई0आर0 दर्ज करने वाले तत्कालीन थाना प्रभारी उमेशसिंह तोमर अ0सा0—07 ने स्थिति स्पष्ट की है, न ही घटना की विवेचना करने वाले उपनिरीक्षक एस0के0शर्मा अ0सा0—08 ने कोई स्पष्टीकरण दिया है, ऐसे में संतोष अ0सा0—05 के अभिसाक्ष्य से केवल लूट की घटना होने मात्र की पुष्टि होती है, किंतु उक्त लूट को विचाराधीन आरोपीगण या उनमें से किसी के द्वारा अंजाम दिया गया, यह भी विश्लेषित अन्य साक्ष्य के करना होगा।
- 11. प्रकरण में पटवारी उत्तमिसंह यादव अ०सा0–02 ने अपने अभिसाक्ष्य घटनास्थल को ग्राम पिपरसाना के पटवारी हल्का नंबर–53 का भाग होना बताते हुए, प्र0पी0–04 का नजरी नक्शा तैयार करना बताया है, जो राजस्व जिला भिण्ड के अंतर्गत डकैती प्रभावित क्षेत्र में आता है, जो कि स्वीकृत तथ्य भी है, इसलिए उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य की अधिक विश्लेषण की आवश्यकता नहीं हैं, और वह औपचारिक साक्षी है।
- 12. रिव पुरोहित अ०सा०—03 और शैलेन्द्र सिंह अ०सा०—04 को भी अभियोजन की ओर से घटना के पूर्व एवं पश्चात की पिरिस्थितियों के संदर्भ में परीक्षित कराया है, कथानक मुताबिक रिव पुरोहित को शैलेन्द्र के द्वारा आरोपीगण का लूट की घटना को अंजाम देने की जानकारी देना बताया गया था, और डर के कारण यह बात किसी ओर को न बताना कहा, ऐसा ही शैलेन्द्र का भी पुलिस कथन था, कि लूट के बाद जब आरोपी निकले थे तो उसने पहचान लिया था और बदमाशों ने उसे भी धमकी दी थी, जिसकी वजह से उसने जानकारी किसी को नहीं बताई, किंतु अ०सा०—03 एवं अ०सा०—04 ने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में पुलिस को दिए प्र०पी०—05 एवं प्र०पी०—06 के कथनों की कोई पुष्टि नहीं की है, बिल्क विचाराधीन आरोपीगण लखना उर्फ रामलखन और इन्द्रा को जानने से इन्कार किया है, तथा घटना के विषय में जानकारी होने से इन्कार किया है, और पुलिस को कथन देने से भी मना किया है,

प्रतिपरीक्षा की भांति पूछे गए सूचक प्रश्नों में भी उन्होने क्रमशः प्र0पी0—05 , प्र0पी0—06 के पुलिस कथनों के वृत्तांत का कतई समर्थन नहीं किया है, ऐसे में उक्त साक्षियों का अभिसाक्ष्य जो कि अभियोजन के प्रतिकूल है, अभियोजन के मामले को शंकास्पद बनाता है, और उक्त साक्षियों का कोई समर्थन न करना अभियोजन के लिए निश्चित तौर पर घातक है, ऐसे में अन्य परीक्षित साक्षियों के अभिसाक्ष्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाना अपेक्षित हो जाता है।

- 13. अन्य परीक्षित साक्षियों में उमेश कांकर अ०सा०-01 जो कि प्र०पी०-01 लगायत प्र०पी०-03 के दस्तावेजों से संबंधित साक्षी है, इसी प्रकार अजय भदौरिया अ०सा०-06 भी प्र०पी०-01, प्र०पी०-02 और प्र०पी०-09 के दस्तावेजों का साक्षी है, जो दस्तावेज फरार आरोपी राजू उर्फ राजवीर से संबंधित है, इसलिए उक्त दोनों साक्षियों के अभिसाक्ष्य का विचाराधीन निर्णय में मूल्यांकन करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि राजू उर्फ राजवीर के निराकरण के समय उसका मूल्यांकन करना होगा, हालांकि वे दोनों भी अभियोजन के प्रतिकृल ही साक्ष्य देते है।
- उमेश सिंह तोमर अ0सा0-07 ने दिनांक 24/10/10 को थाना प्रभारी गोहद रहते हुए संतोष यादव का देवेन्द्र के साथ थाने आकर तीन अज्ञात आरोपीगण के विरूद्ध लूट करने की रिपोर्ट करने पर प्र0पी0–07 की एफ0आई0आर0 लेखबद्ध करना और प्र0पी0–08 का नक्शा मौका उसकी निशांदेही पर तैयार करना बताया है, तथा साक्षियों के उनके बताए अनुसार कथन लेखबद्ध करना कहता है, उसने फरियादी संतोष और साक्षी देवेन्द्र के अलावा रवि पुरोहित, शैलेन्द्र सिंह के भी कथन लेना बताया है, जिन्होंने अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है, ऐसे में उक्त साक्षी की अभिसाक्ष्य से प्र0पी0–07 की एफ0आई0आर0 और प्र0पी0–08 का नक्शे मौका जिसकी पुष्टि संतोष यादव अ०सा०-05 के अभिसाक्ष्य से भी हुई है, वही प्रमाणित हो सकता है, जिससे लूट की घटना होना मात्र स्थापित होता है, किंतु विचाराधीन आरोपीगण के द्वारा ही लूट की गई यह प्रमाणित नहीं हो सकता है, इसलिए घटना की शेष विवेचना करने वाले उपनिरीक्षक एस०के० शर्मा अ०सा०–०८ के अभिसाक्ष्य का सूक्ष्माता से मूल्यांकन करते हुए यह देखना होगा कि क्या उसके द्वारा जो अनुसंधान किया गया उसी आधार पर विचाराधीन आरोपीगण को अभियोजित किया गया है, उसे वह युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित करने में सफल रहा है, या नहीं।
- 15. धारा-27 साक्ष्य विधान के उपबंध मुताबिक- अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी- परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी

अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चल जाता है, तब ऐसी जानकारी में से, चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी ऐतद द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पश्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी।

- 16. साक्ष्य विधान की धारा-27 के निम्नलिखित महत्वपूर्ण अंग हैं
 - 1 सूचना देने वाला व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त होना चाहिए।
 - 2. 🖊 उसका पुलिस की अभिरक्षा में होना चाहिए।
 - 3. उस व्यक्ति के द्वारा दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप किसी सुसंगत तथ्य का पता लगना चाहिए।
 - 4. पता चले हुए तथ्य से स्पश्टतया संबंधित भाग को साबित किया जा सकता है।
 - 5. चाहे वह भाग संस्वीकृति की कोटि में आता हो या नहीं।
- उपनिरीक्षक एस०के० शर्मा अ०सा०–०८ ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 30 / 11 / 10 को उक्त प्रकरण के अपराध कमांक 220 / 10 की केस डायरी विवेचना के लिए प्राप्त होने पर आरोपी लखना उर्फ रामलखन को प्र0पी0—10 का गिरफ़तारीपत्रक बनाकर और अन्य अपराध में निरूद्ध होने से औपचारिक गिरफ्तार करना बताया है, तथा उससे दिनांक 03 / 12 / 11 को पूछताछ की थी, जिसमें हिस्से में प्राप्त 4,500 / – रूपये में से 300 / – रूपये शेष रहकर घर में रखना, बाकी खर्च हो जाना बताया था, जिस पर से प्र0पी0—11 का मेमोरेण्डम कथन उसने तैयार किया था जब कि कथानक मुताबिक लूट में मोटरसाइकिल मोबाइल फोन और केवल 700 / —रूपए संतोष यादव से लूटे जाना / बताए गए है, मोटरसाइकिल या मोबाइल कही बेच कर रूपयों का बटवारा हुआ ऐसा कथानक नहीं है ऐसे में धारा 27 साक्ष्य विधान के ज्ञापन के माध्यम से तथ्यों की बताई गई डिस्कवरी सुसंगत नहीं रहा जाती है और प्राप्त जानकारी के आधार पर दिनांक 04/12/11 को आरोपी लखना के घर से उसके पेश करने पर 100–100 के तीन नोट प्र0पी0—12 का जब्तीपत्रक बनाकर जब्त करना बताया है, पैरा—05 में यह स्वीकार किया है, कि जब्त नोटों की कोई विशेष पहचान नहीं थी और जब अरोपी की गिरफ्तारी की गई थी, तब वह अन्य प्रकरण में निरूद्ध था।
- 18. इस प्रकार आरोपी लखना उर्फ रामलखन के संबंध में विवेचक एस0के0 शर्मा अ0सा0-08 की उक्त अभिसाक्ष्य से यह स्पष्ट होता है, कि जब विचाराधीन मामले में लखना उर्फ रामलखन औपचारिक गिरफ़तारी की गई, तब वह किसी अन्य मामले में निरोध

में था, अर्थात उसे औपचारिक गिरफ्तारी के पश्चात पुलिस रिमाण्ड में लिया होगा और पूछताछ की होगी, यह साक्ष्य अभिलेख पर नहीं आई है, कि आरोपी लखना के जिस घर से रूपये बरामद किए गए उसमें कौन—कौन निवासरत था और जिस स्थान से रूपये बरामद हुए, क्या वह अरोपी लखना के एकाकी आधिपत्य का था, जब्त रूपये साक्ष्य में पेश भी नहीं हुए है, तथा उसकी कोई विशिष्ट पहचान भी नहीं है, तथा लूट की मुख्य घटना में फरियादी संतोष यादव की मोटरसाईकिल, मोबाइल और 700/—रूपए नगद लूटे गए थे ऐसे में प्र0पी0—11 का अरोपी लखना का धारा—27 साक्ष्य विधान का ज्ञापन विवेचक की उक्त अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है, तथा जब्त नोटों की कोई विशेष पहचान न होने से जब्तीपत्र प्र0पी0—12 से भी आरोपी लखना का, विचाराधीन घटना से कोई सरोकार जोडा जाना संभव नहीं है, इसलिए लखना उर्फ रामलखन के संबंध में अभियोजन का मामला संदिग्ध है।

- उपनिरीक्षक एस०के० शर्मा अ०सा०–०८ के द्वारा अपने अभिसक्ष्य में आरोपी इंन्द्रा जाटव को दिनांक 05/09/12 को न्यायालय प्रांगण गोहद से प्र0पी0—13 का गिरफ्तारीपत्रक बनाकर गिरफुतार करना बताया है और तत्पश्चात पूछताछ कर धारा–27 साक्ष्य विधान के तहत प्र0पी0—14 का मेमोरेण्डम कथन लेना बताया है, जिसमें उसके द्वारा लूटे गए माल में से उसके हिस्से आए रूपए खर्च कर लेना व स्पाइस कंपनी का मोबाइल घर में रखे होकर बरामद कराना कहा है. तत्पश्चात उसी दिन आरोपी इन्द्रा के घर जाकर उसके पेश करने पर उससे एक स्पाइस कंपनी का मोबाइल प्र0पी0—17 के जब्तीपत्रक मृताबिक जब्त करना बताया है, जब कि एफ0आई0आर0 प्र0पी0–07 में लूटा गया मोबाइल लावा कंपनी का होना बताया, न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में फरियादी संतोष यादव अ०सा०–०५ ने नोकिया कंपनी का बतायो जबकि जब्तीपत्रक प्र0पी0–15 मुताबिक स्पाइस कंपनी का मोबाईल बगैर सिम के जब्त होना बताया है ऐसे में तीनों परिस्थितियों में मोबाइल की भिन्नता है, जिससे आरोपी इन्द्रा के धारा 27 साक्ष्य विधान के मेमोरेण्डन कथन प्र0पी0—14 में किए गए प्रकटीकरण से कथानक की पुष्टि नहीं होती है जिससे उसके विरूद्ध भी मामला संदिग्ध हो जाता है।
- 20. इस प्रकार दोनों ही विचाराधीन आरोपियों के संबंध में प्र0पी0—10 लगायत प्र0पी0—15 की कार्यवाही एक जैसी करना बताई गई है, जिससे उक्त कार्यवाही औपचारिक रूप से कर ली जाना परिलक्षित होती है, जैसा कि बचाव पक्ष का मुख्य तर्क है, तथा उक्त विवेचक के द्वारा प्र0पी0—10 लगायत प्र0पी0—15 की कार्यवाही से संबंधित कोई रोजनामचा सान्हा रवानगी वापिसी का न तो लेखबद्ध करना बताया गया है, न पेश किया गया है, ऐसे में विवेचक की अभिसाक्ष्य मात्र औपचारिकतापूर्ती प्रतीत होती है, जिससे कोई सुसंगत

तथ्य प्रमाणित नहीं होते हैं, जो लूट की घटना से अरोपीगण को कड़ी के रूप में जोड़ते हों, क्योंकि आरोपीगण लूट में शमिल थे या संदेही थे यह किस आधार पर आंकलित किया इस बारे में विवेचक की मौन स्थिति है, इसलिए विचाराधीन दोनों आरोपियों के संबंध में युक्तियुक्त संदेह के परे यह कतई प्रमाणित नहीं होता है, कि प्र0पी0—07 की एफ0आई0आर0 में वर्णित लूट की घटना में वे अन्य अभियुक्तों के साथ शामिल रहे थे। ऐसे में विचाराधीन दोनों आरोपियों के विरूद्ध विरचित आरोप पूर्णत संदिग्ध हो जाते है और युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित न होने से आरोपी लखना उर्फ रामलखन और इन्द्रा को धारा—392 भा0द0वि0 सहपठित धारा—11, 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

- 21. अारोपी इन्द्रा एवं लखना उर्फ रामलखन के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते है ।
- 22. आरोपी इन्द्रा एवं लखना उर्फ रामलखन के धारा—428 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत विचारण दौरान न्यायिक निरोध में काटी गयी अविध बावत् प्रमाणपत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 23. प्रकरण में अभी आरोपीगण भूपे उर्फ भूपेन्द्र एवं राजू उर्फ राजवीर फरार है, इसलिए प्रकरण की सम्पत्ति का निराकरण नहीं किया जा रहा है और अभिलेख को सुरक्षित रखा जावे।
- 24. निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जाये।

दिनांकः 10 दिसंबर 2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया। खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश, डकैती गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश, डकैती गोहद जिला भिण्ड